राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : प.61(13)राभ/वर्क्स/2025/ 5061 दिनांक : 12 सितम्बर, 2025

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजभवन जयपुर में आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा किये जाने हेतु अनुभवी संवेदकों/फर्मों से मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरणानुसार सीमित बोली आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित राशि रू.	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय	कार्य की अवधि
1.	राजभवन जयपुर में आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था कार्य	1,18,000/– (समस्त कर सहित)	23.09.2025 01.00 PM	23.09.2025 03.00 PM	एक वर्ष या अनुमानित लागत रू. 1,18,000/– जो भी पहले हो

1. बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक 16.09.2025 को सांयकाल 5:00 बजे से देखी जा सकती है एवं डाउन लोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।
2. बोली प्रपत्र राजभवन कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 16.09.2025 से 23.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
3. सीमित बोली दिनांक 23.09.2025 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात् 03.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. बोली मोहरबंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाऊसहोल्ड, राजभवन के नाम प्रस्तुत की जावेगी।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल हाऊसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : प.61(13)राभ/वर्क्स/2025/5062-5064 दिनांक 12 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:–

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. प्रभारी आई.टी. राजभवन जयपुर को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल हाऊसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

विषयः– राजभवन जयपुर में आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था कार्य हेतु दर संविदा।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं. ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....
IFSC Code ....
खाता संख्या ....
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नालिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:–

क्र.सं.	पंजीकरण विवरण	रजि.सं.	पंजीकरण वर्ष एवं दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	माल एवं सेवाकर (GST)			
2.	आय कर (पैन नम्बर)			

7. आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था हेतु दरें संलग्न प्रारूप **अनुलग्नक 'क'** में प्रस्तुत करनी होंगी।
8. राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्ते स्वीकार की जाती है।
9. बोलीदाता की अपनी अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होंगी।
10. सीमित बोली मोहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी। जिस पर **"आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था हेतु सीमित निविदा"** अंकित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव**

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

बोली की शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी से दर संविदा कीमत से कम कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
3. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
4. मूल्यांकन की कसौटी–बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र राशि रूपए 500/– (अक्षरे रूपए पॉच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आदेश दिनांक से 07 दिवस में सम्पादित करना होगा।
6. अनुमोदित की गई दर संविदा की कालावधि आदेश दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी।
7. आदेशित मरम्मत कार्य दूरभाष पर आदेश/लिखित आदेश से तीन दिवस में पूर्ण करना होगा।
8. मरम्मत कार्य में विलम्ब की दशा में नियमानुसार परिनिर्धारित नुकसान की वसूली की जावेगी।
9. बोलीदाता/संवेदक को अपनी दरें संलग्न अनुलग्नक – 'क' में ही प्रस्तुत करनी होगी।
10. बोली राजभवन जयपुर में आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था संबंधित कार्य करने की दरें एफ.ओ.आर. राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर होगी।
11. Same Company parts will be use in the System.
12. During AMC period electric parts if found defective then the same will he repaired/ replaced.
13. Contractor shall ensure minimum one service visit every Quarter and submit consolidate bill on a quarterly basis.
14. Payment 90% in advance for AMC charges and 10% payment will be paid after completion of AMC period.
15. Water tank, body and tap of the unit are not covered in AMC. Cost of these parts will be paid, if required to be replaced.
16. Every visit by service technician shall be made during 10 am to 6 pm only within 24 hour after the receipt-complaint.
17. Machine will not be attended by any person other than technician of the firm during AMC period.
18. Consumables like filters and Membrane will be replaced twice in a year during the period of AMC. Extra cost will be charged, if required to be replaced again.
19. बोलीदाता लिफाफे पर "आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था के कार्य की दरों हेतु" अवश्य अंकित करेगा।
20. बोली दरों में कांट –छांट नहीं की जावें।
21. बोली दरे बॉल पैन से भरी होनी चाहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
22. बोली फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जावे।
23. बोली स्वीकृति एवं अस्वीकृति के सम्बन्ध में सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव

अनुलग्नक – 'क'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

निविदा दरें

आर.ओ. एवं वाटर प्यूरीफायर की वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था

क्र.सं.	आईटम का नाम	मात्रा	दर प्रति नग (सभी करों सहित)	कुल राशि
1.	Kent- 50LPH RO सिस्टम	03 नग		
2.	Kent–15 LPH RO सिस्टम	12 नग		
3.	Eureka Forbes वाटर प्यूरीफायर	04 नग		

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

उप सचिव

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... को एक पक्ष के -- --------------------- (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान जयपुर को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
   1. इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर कंट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता .... और उसके आदेश में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।
   2. कोटेशन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से संलग्न कोटेशन एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।
   3. दरदाता से प्राप्त दरों तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र क्रमांक .... दिनांक .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
   4. (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं/सेवाओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल/सेवा प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।
3. भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से On Line की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण हैः—
   i. बैंक का नाम एवं पता ....
   ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते मे लिखा हो) : ....
   iii. बैंक खाता संख्या : ....!.....
   iv. बैंक IFSC कोड नं : ....
4. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगीः

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

5. (1) (i) निर्धारित समय पर कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर शास्ति देय होगी :
   (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
   (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%
   (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणीः (i) प्रदाय मे विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा

जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल/सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
7. अनुबंध की अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. कोटेशन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... की शर्तों के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक .... के अनुसार कार्य नहीं करने पर आपसे राशि वसूल करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. पक्षकारों ने आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किए।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर